न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर फूलियाकलां जिला भीलवाडा
पीठासीन अधिकारी– श्री एम0एम0 व्यास, आर0ए0एस0

प्रकरण सं0 –	तारीख दायर	तारीख आदेश
04/2017 वाद पत्र	27.01.2017	29.06.2017

1– देबीलाल पिता कल्याणमल ब्राम्हण निवासी नया सरसुन्दा
2–3 दीपक, सोनू पिता राधेश्याम ब्राम्हण निवासी नया सरसुन्दा
4– तारादेवी बेवा राधेश्याम ब्राम्हण निवासी नया सरसुन्दा त0 फूलियाकलां

– वादीगण

बनाम

1– [illegible] पिता मूला जाट नि0 नया सरसुन्दा तहसील फूलियाकलां
2– तहसीलदार, फूलियाकलां

– प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 183 आर0टि0 एक्ट

उपस्थित :–

श्री विजय पाराशर : अधिवक्ता वादीगण

आदेश

वादीगण ने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 183 आर0टि0एक्ट विरूद्ध प्रतिवादीगण के प्रस्तुत किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजीयात ग्राम नया सरसुन्दा पटवार मण्डल पेटा नाहर सागर तहसील फूलियाकलां की आ0न0 [illegible] रकबा 0.58 है0 व आ0न0 759 रकबा 0.70 है0 कुल किता 02 रकबा 1.28 है0 स्थित है। वर्णित आराजीया तमे 1/2 हिस्सा वादी देबीलाल का निहित है एवं 1/2 हक हिस्सा दीपक,सोनू व तारादेवी का है। प्रतिवादी नं0 1 [illegible] वादीगण की आराजी नं0 759 की दक्षिणी दिशा का पड़ोसी है जो आये दिन सीमा बाबत विवाद करता था इसलिए वादीगणों ने उक्त पेरा नं0 1 मे वर्णित आराजीयात की पत्थरगढ़ी करवाने हेतु प्रार्थनापत्र न्यायालय श्रीमान् मे पेश किया जिसके प्रकरण संख्या 213/2016 होकर दिनांक 05.05.2016 को निर्णय हो गया था आदेश की पालना मे दिनांक 26.05.2016

को गिरदावर व पटवारी हल्का द्वारा पत्थरगढ़ी की गई। मौकापर्चा तैयार किया गया उस मौके पर्चे मे वादीगण की आ0न0 759 रकबा 0.70 है0 मे से 0.37 है0 भूमि पर प्रतिवादी नं0 1 का अनाधिकृत कब्जा पाया गया। अतः वादीगण के पक्ष मे व प्रतिवादी नं0 1 के विरूद्व कब्जेयाबी की डिक्री इस अमर की जारी फरमाई जावे कि वादीगण की आ0न0 759 रकबा 0.70 है0 मे से 0.37 है0 भूमि पर प्रतिवादी नं0 1 ने नाजायज कब्जा कर रखा है वो कब्जा वादीगणों को सिपुर्द करने की डिक्री प्रदान करावे। जिसकी पालना प्रतिवादी नं0 2 से कराई जावे।

प्रकरण पंजीबद्व किया जाकर प्रतिबादीगणों को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। प्रतिबादीगण बावजूद सूचना सम्मन तामील व विधिवत आवाजे लगाई जाने के बाद भी उपस्थित नही होने से दिनांक 20.04.2017 को उनके विरूद्व एक तरफा कार्यवाही की जाकर प्रकरण साक्ष्य वादीगण के नियत किया गया। दिनांक 29.06.2017 को प्रकरण राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार– 2017 केम्प अटल सेवा केन्द्र कनेछनकलां पर वास्ते सुनवाई हेतु हेतु रखा गया। दिनांक 29.06.2017 को वादी देबीलाल की ओर से साक्ष्य के रूप मे शपथ पत्र प्रस्तुत हुआ जो पी0डब्ल्यू0 – 1 होकर शामिल पत्रावली किया गया। अभिभाषक वादीगण की एक तरफा बहस सुनी गई। बहस मे अभिभाषक वादीगण ने वाद पत्र मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुए वाद पत्र स्वीकार किये जाने बाबत निवेदन किया। बहस पर मनन एवं प्रकरण, प्रस्तुत राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया गया वादीगण वादग्रस्त आराजीयात के खातेदार काश्तकार होकर मौका पर्चा पत्थरगढ़ी के अनुसार वादीगण की ग्राम नया सरसुन्दा की आ0न0 759 रकबा 0.70 है0 मे से 0.37 है0 पर प्रतिवादी नं0 1 का अनाधिकृत कब्जा होना सिद्व होता है। जिसे वादीगण कब्जा पाने के अधिकारी है। अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाना उचित समझता हू :–

आदेश

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र अन्तर्गत धारा 183 आर0टी0ए0 विरूद्व प्रतिवादी नं0 1 के स्वीकार किया जाकर डिक्री इस आशय की जारी की जाती है कि वाके ग्राम नया सरसुन्दा पटवार हल्का पेटा नाहर सागर तहसील फूलियाकलां की जमाबन्दी संवत 2071–74 के खाता संख्या 61 की आ0न0 759 रकबा 0.37 है0 जिस पर प्रतिवादी नं0 1 रामजस पिता मूला

जाट निवासी नया सरसुन्दा का कब्जा है, उक्त आ0न0 759 रकबा 0.37 है0 को प्रतिवादी नं0 1 से कब्जा वादीगण को विधिवत रूप से दिलाये जाने के आदेश तहसीलदार, फूलियाकलां को दिये जाते है। डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 29.06.2017 को केम्प कनेछनकलां पर सुनाया गया।

(एम0एम0 व्यास)
आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, फूलियाकलां (भीलवाडा)

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर
फूलिया कलॉं, जिला-भीलवाड़ा